

# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान— बीकानेर

प्रारूप-6

परिशिष्ट


## सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

श्री यशपाल शर्मा सेनि, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छतरगढ़ (बीकानेर) के रूप में कार्यरत थे जिनकी जन्म तिथि 10.09.1963 है, ये राज्य सेवा से दिनांक 25.10.2017 को स्वैच्छिक सेवा निवृत्त होने के कारण सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री यशपाल शर्मा सेनि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छतरगढ़ (बीकानेर) के विरुद्ध आज तक:—

1. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शि.वि.रा-मा/संस्थॉ/ए-2-7/प्रपत्र-6/सेवा संतोषजनक/2017

दिनांक: 27.11.17

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. संबधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
2. संबधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक),
4. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छतरगढ़ (बीकानेर)
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. श्री यशपाल शर्मा सेनि, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छतरगढ़ (बीकानेर)
7. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर


**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**  
**आदेश**

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्रमांक	नाम गृह पदस्थापन स्थान राजमावि	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	रामनिवास, अजबपुरा, सीकर	01.12.1957	30.11.2017
2	अनुराधा यादव, सांजटा- बाडमेर	31.12.1957	31.12.2017
3	विजय नारायण तिवाड़ी, धीरेरा गांव- लूणकरणसर -बीकानेर	03.01.1958	31.01.2018
4	वीना रानी, उदयमंदिर जोधपुर	05.01.1958	31.01.2018
5	मोहम्मद सदीक, पबाना- झुझुनू	02.02.1958	28.02.2018
6	उदाराम भण्डा, बा0 डीडवाना- नागौर	20.02.1958	28.02.2018
7	निरोती लाल, कूकेश, सैपाउ-धौलपुर	05.04.1958	30.04.2018
8	रूप-सिंह देवडा, गिरवर- सिरौही	05.05.1958	31.05.2018
9	विमला जैन, छापी- झुंजरपुर	15.06.1958	30.06.2018
10	प्रभा गुप्ता, आरा- झुंजरपुर	16.06.1958	30.06.2018
11	परमेश्वर लाल भाटी, सिधाना- झुंझुनू	02.07.1958	31.07.2018
12	सुचेता शर्मा, पाल देवल- झुंजरपुर	07.07.1958	31.07.2018
13	जगनाराम रावल, कोजसा- सिरौही	17.07.1958	31.07.2018
14	वासुदेव भोजक, जावाल- सिरौही	17.07.1958	31.07.2018
15	प्रहलाद सिंह, पाली-महवा-दौसा	01.08.1958	31.07.2018
16	रामशंकर पाटीदार, बाबा की बार- झुंजरपुर	11.09.1958	30.09.2018
17	नटवरलाल पाटीदार, झोसावा- झुंजरपुर	05.10.1958	31.10.2018
18	रमणलाल कलाल, विकासनगर- झुंजरपुर	09.10.1958	31.10.2018
19	कामिनी मस्ट, बा0 टाउन झुंजरपुर- झुंजरपुर	19.10.1958	31.10.2018
20	पुरुतोत्तम दयाल शर्मा, धौलपुर-धौलपुर	30.10.1958	31.10.2018
21	शान्ता पाटीदार, म.प. सीमलवाडा-झुंजरपुर	15.01.1959	31.01.2019
22	तारा पवार, झोथरी पाल-झुंजरपुर	19.01.1959	31.01.2019
23	धुलेश्वर पाटीदार, साकांदरा-झुंजरपुर	25.02.1959	28.02.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(नथमल डिडेल)


निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक : 28-11-2017

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2015-16

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्यवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

- निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
- संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को सेवानिवृत्त करने से पूर्व उपरोक्त प्रमाणिकरण की भलिभाति जांच करें।
- संबंधित कार्मिक
- अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- निजी एवं रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


## :: कार्यालय आदेश ::

### प्रारूप-6

श्री शैलेन्द्र कुमार कानूनगो, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरोदा जिला झालावाड़ में कार्यरत है, जिनकी जन्मतिथि 15.07.1958 है जिनका दिनांक 21.10.2017 से राज्य सेवा में रहते हुवे स्वर्गवास हो चुका है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री शैलेन्द्र कुमार कानूनगो, के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम --16के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम --19 के अधीन, कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन / लम्बित नहीं है

  
(नथमल डिडेल)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर


क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-6/शैलेन्द्र कुमार /2017

दिनांक : 24-11-17

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, कोटा
2. उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग झालावाड़
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), झालावाड़
5. कोषाधिकारी, बून्दी
6. श्री शैलेन्द्र कुमार कानूनगो, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरोदा जिला झालावाड़
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरोदा जिला झालावाड़
8. विजांच/परिष्कृता अनुभाग
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
10. प्रभारी बी-1/II कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।

12. सिस्टम एनालिस्ट

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर